



मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण

32, सिविल लाईन्स, मथुरा ।

रुकमणी विहार एवं चैतन्य विहार आवासीय योजना,

वृन्दावन स्थित

आश्रम मठ / नर्सिंग होम / व्यवसायिक / सामुदायिक

भूखण्डों का आवंटन

योजना प्रारम्भ

दिनांक 27/2/23 से 31.03.2023 तक

भूखण्ड नीलामी स्थल

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा

कार्यालय स्थित सभागार

सहायक

EE

Asst. Secy

MD
CAO

SECY

वृन्दावन स्थित रूक्मणी विहार आवासीय योजना, के कुछ आकर्षक बिन्दु

- मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा यह योजना वृन्दावन में ब्रज क्षेत्र के मध्य विकसित की गयी है।
- योजना धार्मिक एवं अध्यात्म की दृष्टि से अति-महत्वपूर्ण, वृन्दावन-मथुरा शहरों के अत्यन्त सन्निकट एवं पूर्णतया विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत नियोजित है।
- रूक्मणी विहार आवासीय योजना आगरा-दिल्ली मार्ग (एन.एच.-2) पर स्थित छटीकरा से वृन्दावन जाने वाले मार्ग (छटीकरा मार्ग) पर स्थित है।
- योजना वृन्दावन इस्कॉन मंदिर से 1.50 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
- रूक्मणी विहार आवासीय योजना में मेडिकल, इण्टर कॉलेज, सामुदायिक सुविधा, होटल, ग्रुप हाउसिंग, आश्रम-मठ, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, एवं एकल आवासीय भवन/भूखण्डों हेतु विकसित की गयी है।
- योजना में वृहद क्षेत्रफल, पार्को, सड़कों एवं हरित क्षेत्र हेतु रखा गया है।
- कुशल नियोजक द्वारा योजना को आधुनिक तरीके से नियोजित किया गया है।
- हरा-भरा प्रदूषण रहित वातावरण।
- मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा योजना के सामने प्रथम बार वास्तुकारी युक्त बाउण्ड्रीवाल के साथ मुख्य द्वार का निर्माण कार्य कराया गया है।


S. J. S.


E.E.



A.K.


CAO

SECTY.

भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के महात्म्य के प्रतीक चिन्ह वृन्दावन में आवासीय भूखण्ड, आश्रम मठ व्यवसायिक एवं सामुदायिक/नर्सिंग होम हेतु लम्बी अवधि से चली आ रही मांग को दृष्टि में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा रूक्मणी विहार आवासीय योजना पर सभी प्रकार के भूखण्डों की प्रस्तावना की गई है ।

रूक्मणी विहार आवासीय योजना में तीन ओर से प्रमुख सड़कों के मध्य नैसर्गिक प्राकृतिक वातावरण में स्थित योजना है, जो वृन्दावन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के बीच में स्थित होने के कारण जहां एक ओर शांतिपूर्ण परिवेश सुनिश्चित करती है, वहीं दूसरी ओर सुगम्य भी है ।

 स. म.
 E. E.
 A. K.
 S. E. M.
S. E. M.

1. योजना -

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 183 एकड़ भूमि पर रुक्मणी विहार योजना नेशनल हाईवे-2 से प्रारंभ होने वाली छटीकरा रोड पर विकसित की जा रही है तथा नेशनल हाईवे-2 से 2.50 कि०मी० एवं इस्कॉन मंदिर से 1.50 कि०मी० की दूरी पर छटीकरा मुख्य मार्ग पर ही स्थित है।

यह योजना स्वयं में नगरीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली सौन्दर्यपूर्ण, कुशलता से नियोजित रिहायशी एवं सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली योजना है। सम्पत्तियों का विवरण आगे तालिका-'क' में दिया गया है।

2. आवेदन कैसे करें :-

- (i) भूखण्ड के पंजीकरण हेतु सभी प्रकार के आवेदन ऑनलाईन janhit.upda.in पोर्टल पर ही प्राप्त किये जायेंगे।
- (ii) विभिन्न श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु आवेदन शुल्क रू० 1000.00 एवं पंजीकरण के लिए निर्धारित धरोहर/पंजीकरण धनराशि आवेदक को ऑनलाईन जमा करनी होगी तभी आवेदन पूर्ण माना जायेगा।

3. आवेदन कौन कर सकता है :

- (i) कोई भी भारत का नागरिक/व्यक्ति जो कानूनी रूप से वैध व्यक्तित्व रखता है। इस प्रस्तावित फ्रीहोल्ड सम्पत्ति को नीलामी के द्वारा खरीद सकता है।
- (ii) प्रस्तावित कम्पनी, अपंजीकृत फर्मस व संयुक्त हिन्दु परिवार द्वारा दी गई बोली मान्य नहीं होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त केवल ऐसी फर्म एवं कम्पनियां, जो रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटीज द्वारा भारतीय कम्पनी एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, वे ही नीलामी में आवेदन कर सकती हैं एवं उन्हीं के पक्ष में खरीद के पश्चात् सेल डीड करायी जा सकेगी।
- (iii) यह योजना एक व्यक्ति, कम्पनीज/फर्मस के लिए खुली है।

4. नीलामी :

- (i) आश्रम मठ, व्यवसायिक, नर्सिंग होम, सामुदायिक भूखण्डों की बिक्री खुली नीलामी के माध्यम से की जायेगी। नीलामी प्रत्येक शुक्रवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे प्राधिकरण सभागार में होगी।
- (ii) पंजीकरण आवेदन अर्ह पाये जाने पर नीलामी में भाग लेने की सूचना आवेदक को ऑनलाईन/एस.एम.एस./दूरभाष पर दी जायेगी।
- (iii) बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्थल का भली-भांति अवलोकन कर सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। नीलामी के पश्चात् किसी प्रकार की शिकायत अथवा आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (iv) यदि बोलीदाता एकल व्यक्ति नाम के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से नीलामी देता है तो आवश्यक है कि वह नीलामी देने वाले से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेज/मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, कम्पनी/सोसायटी/ट्रस्ट आदि द्वारा प्रदत्त बोली में भाग लेने के अधिकार पत्र आदि प्रस्तुत करके नीलामी में भाग ले सकता है।
- (v) रिजर्व प्राइस (न्यूनतम आरक्षित मूल्य) एवं उसके ऊपर बोली में बोले जाने वाली न्यूनतम बढ़ोत्तरी मूल्य की घोषणा नीलामी के समय कर दी जायेगी।




H. M.

- 4 -


E.E


Anand


CAO

SECY

- (vi) नीलामी में दी गई अधिकतम बोली की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के निर्णय का अधिकार उपाध्यक्ष, म0वृ0वि0प्रा0 को होगा। उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा (म0वृ0वि0प्रा0) को अधिकार होगा कि वह प्राधिकरण हित में अधिकतम बोली सहित किसी भी बोली को स्वीकृत अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकते हैं। उपाध्यक्ष का यह निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- (vii) अधिकतम बोली की 10 प्रतिशत धनराशि (जिसमें धरोहर धनराशि भी सम्मिलित है) वह उच्चतम बोली के अंत में (फॉल ऑफ हैमर) तुरंत जमा करनी होगी। यह धनराशि जमा न करा पाने की दशा में जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- (viii) उच्चतम बोली उपाध्यक्ष, म0वृ0वि0प्रा0 द्वारा स्वीकार की जायेगी ऐसे अधिकतम बोली की समस्त धनराशि बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर के माध्यम से सचिव, म0वृ0वि0प्रा0 के पक्ष में निम्नानुसार दो भुगतान योजनाओं के अन्तर्गत जमा कराने का विकल्प होगा :-

भुगतान विकल्प (A)		
(i)	नीलामी के समय धरोहर राशि	तालिका के अनुसार निर्दिष्ट धरोहर राशि।
(ii)	बोली समाप्ति के समय धनराशि (फॉल ऑफ हैमर)	अधिकतम बोली की 10% धनराशि (धरोहर राशि सम्मिलित) जमा की जानी है।
(iii)	अवशेष 90 प्रतिशत धनराशि	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से तीन माह के अंदर बिना ब्याज के जमा करानी होगी।
भुगतान विकल्प (B)		
(i)	नीलामी के समय धरोहर राशि	तालिका के अनुसार निर्दिष्ट धरोहर राशि।
(ii)	बोली समाप्ति के समय धनराशि (फॉल ऑफ हैमर)	अधिकतम बोली की 10% धनराशि (धरोहर राशि सम्मिलित) जमा की जानी है।
(iii)	अधिकतम बोली की 15% आवंटन धनराशि	नीलामी तिथि से दो सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी।
(iv)	अधिकतम बोली की अवशेष 75% धनराशि।	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से तीन वर्ष के अंदर 12.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित छः छमाही किश्तों में जमा करानी होगी।

विकल्प 'बी' को चुनने वाले बोलीदाता को 29 दिन तक किश्त भुगतान हेतु ग्रेस समय दिया जायेगा। ग्रेस समय के पश्चात् पूर्व निर्धारित वास्तविक दिनांक से ही जितने दिन किश्त के भुगतान में विलम्ब होता है, का ब्याज नियमानुसार 15.25 प्रतिशत की दर सहित का भुगतान लिया जायेगा। यदि किश्त का भुगतान पूर्व निर्धारित वास्तविक दिनांक से 3 माह पश्चात् भी नहीं किया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

- (ix) दोनों विकल्पों में विलम्ब से जमा करने पर विलम्ब अवधि पर 15.25 प्रतिशत की दर से विलम्ब ब्याज देय होगा।
- (x) बोलीदाता द्वारा प्राधिकरण का भूखण्ड सम्बन्धी देय समस्त भुगतान कर देने एवं पंजीकृत विक्रय विलेख कराने के पश्चात् भूखण्ड कब्जा दिया जायेगा। तदोपरान्त बोलीदाता/आवंटी म0वृ0वि0प्रा0 से भूखण्ड निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण प्रारम्भ कर सकता है।





- 5 -





SECY

- (xi) म०वृ०वि०प्रा० द्वारा ब्रोशर में दर्शाये गये भूखण्ड का क्षेत्रफल अनुमानित है, जिस उच्चतम बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाती है, उसे भूखण्ड क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत विचलन एवं तदानुसार समानुपातिक आच्छादन को स्वीकार करना होगा। इसके साथ बड़े हुये अथवा घटे हुये क्षेत्रफल की समानुपातिक धनराशि का भुगतान करना अथवा रिफण्ड प्राप्त करना होगा। वास्तविक क्षेत्रफल का भूखण्ड की नीलामी द्वारा विक्रित समझा जायेगा। भूखण्ड के वास्तविक मूल्य की गणना उस भूखण्ड हेतु अधिकतम स्वीकृत बोली के मूल्य के समान ही होगी।
- (xii) बोलीदाता द्वारा भूखण्ड पर ऋण लिये जाने में म०वृ०वि०प्रा० को कोई आपत्ति नहीं होगी। ऋण लिये जाने से पूर्व बिल्डर म०वृ०वि०प्रा० के साथ एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध करायेगा, जिसके पश्चात् ही म०वृ०वि०प्रा० द्वारा उचित समझे जाने पर भूखण्ड को बंधक रखे जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। ऋण प्रक्रिया हेतु होने वाले समस्त खर्चों का वहन बोलीदाता को स्वयं करना होगा।
- (xiii) ऐसे भूखण्ड जिन्हें निरस्त कर पुनः आवंटन हेतु पंजीकरण सूची में शामिल किया गया है। यदि उनमें से किसी भूखण्ड के विवादित होने की दशा में आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त भी नीलामी/आवंटन प्रक्रिया को रोका जा सकता है जिस पर उपाध्यक्ष म०वृ०वि०प्रा०, मथुरा का अन्तिम निर्णय मान्य होगा।
- (xv) आवंटन उपरान्त देय किशतों की धनराशियां म०वृ०वि०प्रा० के निम्नवत् बैंक खाते में चालान द्वारा ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा करानी होंगी।

BANK DETAIL FOR R.T.G.S./N.E.F.T.	
BANK NAME	PUNJAB NATIONAL BANK, FAIZ-E-AAM, MATHURA
ACCOUNT NAME	MATHURA-VRINDAVAN DEVELOPMENT AUTHORITY, MATHURA
BANK IFSC CODE	PUNB0491700
A/C NO.	4917000100011493

5. विक्रय विलेख एवं फीहोल्ड अधिकारों का निष्पादन :

- (i) रजिस्ट्री/विक्रय विलेख से पूर्व सम्पूर्ण भूखण्ड लागत का 12 प्रतिशत फीहोल्ड चार्ज अतिरिक्त देय होगा एवं कार्नर भूखण्ड होने पर 10 प्रतिशत कार्नर चार्ज भी अतिरिक्त देय होगा। नीलामी द्वारा खरीदी गई सम्पत्ति के स्वामी को फीहोल्ड अधिकार प्राप्त होंगे। यह अधिकार प्राधिकरण एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वास्तुविदिय नियंत्रण एवं मास्टर प्लान के नियमों के अधीन होंगे।
- (ii) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप पर विक्रय विलेख कराना होगा। अंतिम भुगतान की तिथि से 2 माह के अंदर आवंटी को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख प्राप्त करना होगा।
- (iii) नीलामी द्वारा बोलीदाता को प्राप्त सम्पत्ति पर बोलीदाता म०वृ०वि०प्रा० के आवंटी के रूप में होगा एवं उसे विक्रय विलेख में वर्णित नियम व शर्तों का पालन करना होगा।







SECT.


- (iv) बोलीदाता/आवंटी को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख/अनुबंध की दिनांक से पांच वर्ष के अन्दर म०वृ०वि०प्रा० से भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत कराकर एवं अनुबंध में निर्धारित शर्तों एवं आवश्यक विशिष्टियों के साथ निर्माण पूर्ण करना होगा। भवन निर्माण के उपरान्त म०वृ०वि०प्रा० से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। आवंटी को पूर्णता प्रमाण पत्र पूर्ण धनराशि के भुगतान के उपरान्त एवं म०वृ०वि०प्रा० से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण होने पर ही प्रदान किया जायेगा।
- (v) भूखण्ड एवं उस पर निर्मित भवन का प्रयोग म०वृ०वि०प्रा० के साथ कराये गये विक्रय विलेख/अनुबंध में निर्धारित शर्तों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा।
- (vi) भूखण्ड अथवा उस पर निर्मित भवन पर भविष्य में जो भी दर, कर, शुल्क भवन निर्माण के दौरान निर्धारित शुल्क आदि आरोपित होते हैं, वह सभी बोलीदाता को जमा कराने होंगे।
- (vii) वर्णित भूखण्ड/सम्पत्ति पर म०वृ०वि०प्रा० की सभी प्रकार की अवशेष धनराशि की वसूली भू-राजस्व के एरियर के रूप में बोलीदाता अथवा उसके उत्तराधिकारी से वसूल की जायेगी।
- (viii) यदि यह पाया जाता है, कि भूखण्ड/सम्पत्ति के विक्रय विलेख प्राप्त करने में गलत सूचनायें दी गयी हैं अथवा उसके दिये किन्हीं वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया है अथवा किसी प्रकार से गुमराह किया गया है अथवा विक्रय विलेख की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, जो विक्रय विलेख निरस्त कर दिया जायेगा।
- (ix) जलापूर्ति, सीवर, जल निकासी, बिजली की लाईन आदि का भूखण्ड की परिसीमा तक विशिष्टियों के अनुरूप कार्य म०वृ०वि०प्रा० द्वारा कराया जायेगा। भूखण्ड के अंदर आंतरिक कार्य बोलीदाता/आवंटी द्वारा स्वयं करने होंगे।
- (x) शासन/प्राधिकरण द्वारा वर्तमान दर पर निर्धारित अनुरक्षण शुल्क बोलीदाता /आवंटी से म०वृ०वि०प्रा० को तब तक प्राप्त करने का अधिकार होगा जब तक कि रुक्मणी विहार आवासीय योजना स्थानीय निकाय/नगर निगम मथुरा को हस्तान्तरित नहीं हो जाती है।
- (xi) उच्चतम बोलीदाता/आवंटी को भुगतान विवरण पत्र में जमा धनराशि हेतु निर्धारित दिनांक के पश्चात् रजिस्ट्री (विक्रय विलेख) न कराये जाने की दशा में चौकीदारी शुल्क निम्नप्रकार से देय होगा :-

1.	प्रथम तीन माह	रु० 10/- प्रतिदिन,
2.	द्वितीय तीन माह	रु० 20/- प्रतिदिन
3.	इसके पश्चात	रु० 25/- प्रतिदिन देय होगा।

6. स्टॉम्प मूल्य की अदायगी :

विक्रय विलेख एवं अनुबंध तैयार कराने, उनकी प्रतिलिपि तैयार कराने, स्टाम्प कय करने, पंजीकरण शुल्क आदि सभी खर्चों का वहन बोलीदाता द्वारा स्वयं किया जायेगा। अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समय यदि नगर निगम मथुरा-वृन्दावन/स्थानीय निकाय /प्राधिकरण द्वारा कोई शुल्क आरोपित किये जाते हैं तो उन शुल्कों का भुगतान बोलीदाता /आवंटी द्वारा किया जायेगा।




स. वि.


EE


Sax


CAO

SEY

7. निरस्तीकरण / समर्पण :

- (i) यदि आवंटी द्वारा ब्रोशर एवं आवंटन पत्र में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन के कारण भूखण्ड/सम्पत्ति का आवंटन प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया जाता है तो आवंटन होने के उपरान्त समर्पण/निरस्तीकरण की दशा में भूखण्ड के मद में जमा की गयी धनराशि में से निम्नवत् कटौती कर अवशेष राशि बिना ब्याज वापस की जायेगी ।
- यदि केवल पंजीकरण धनराशि जमा है तो समस्त धनराशि जब्त की जायेगी ।
 - यदि पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त धनराशि जमा है तो पंजीकरण धनराशि जब्त करने के साथ ही अन्य जमा धनराशि में से 20 प्रतिशत धनराशि कटौती कर अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी ।
- (ii) यदि म०वृ०वि०प्रा० के किसी दोष के कारण आवंटी भूखण्ड पर कब्जा प्राप्त नहीं कर पाता है तो आवंटी को स्टेट बैंक द्वारा तत्समय देय सेविंग बैंक एकाउण्ट ब्याज के समान ब्याज सहित समस्त धनराशि वापिस की जायेगी ।


8. भूखण्ड का कब्जा :

- (i) आवंटी को भूखण्ड का कब्जा नियमानुसार प्राधिकरण में देय सम्पूर्ण धनराशि जमा कराने एवं रजिस्ट्री/विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात् दिया जायेगा ।
- (ii) सैक्टर-3 में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड (उप नगर केन्द्र) क्षेत्रफल 8000 वर्गमी० हेतु न्यूनतम 25 प्रतिशत भूखण्ड मूल्य जमा कराकर, 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड चार्ज जमा कराने तथा भूखण्ड मूल्य पर सम्पूर्ण मूल्य के निर्धारित स्टाम्प पेपर जमा कराने पश्चात् अनुबन्ध कराने पर भूखण्ड का कब्जा प्रदान करने का विकल्प होगा। शेष धनराशि नियमानुसार तीन वर्षों 12.25 प्रतिशत की ब्याज दर से छः छमाही किश्तों में देय होगी ।

9. विविध :

- (i) उपरोक्त योजना में उच्चतम बोलीदाताओं को उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में भूखण्ड का पंजीकरण स्वयं ही कराया जाना होगा।
- (ii) इस योजना से सम्बन्धित किसी भी मामले यथा नीलामी/भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति आदि में उपाध्यक्ष, म०वृ०वि०प्रा० का निर्णय अन्तिम होगा ।
- (iii) इस योजना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के विवाद पर सुनवाई केवल मथुरा न्यायालय में विचारणीय होगी ।
- (iv) भू-अधिग्रहण सम्बन्धित किसी विवाद में यदि मा० न्यायालय द्वारा भविष्य में मुआवजा सहित अन्य धनराशि को बढ़ाया जाता है, तो उसकी समानुपातिक धनराशि बोलीदाता द्वारा देय होगी ।
- (v) नीलामी से पूर्व इस पुस्तिका की किसी भी शर्त में संशोधन करने का अधिकार उपाध्यक्ष, म०वृ०वि०प्रा० को होगा ।
- (vi) यदि शासन/सरकार द्वारा किसी प्रकार का कर/शुल्क आरोपित किया जाता है तो उसका वहन बोलीदाता द्वारा देय होगा ।
- (vii) भूखण्ड पर भवन निर्माण के उपरान्त म०वृ०वि०प्रा० से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
- (viii) विक्रय विलेख निष्पादित होने के पश्चात् एक माह के अन्दर भूखण्ड/दुकान का कब्जा प्राप्त करना होगा ।




A.P.S.
स.वि.


E.E.

-8

Anil



S.E.C.

- (ix) कार्यालय मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण रेरा में पंजीकृत है ।
- (x) नीलामी हेतु विभिन्न सम्पत्तियों की श्रेणी, संख्या एवं नम्बर में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी / घटोत्तरी होने पर यथासमय विवरण ऑनलाईन/वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा ।
- (xi) जिन सम्पत्तियों की नीलामी प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी उन सम्पत्तियों के रजिस्ट्रेशन के प्रक्रिया से विलोपित माना जायेगा एवं उक्त प्रक्रिया के उपरान्त पंजीकरण आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगे ।
- (xii) भूखण्डों के सैट-बैंक ले-आउट के अनुसार पूर्व निर्धारित है। भूखण्ड पर भवन की ऊंचाई 12.50 मी० से अधिक होने पर सैट-बैंक के मानक भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर 3.4.5 के अनुसार होंगे। आश्रम मठ भूखण्ड के लिये तीन मंजिल (11 मी०) से अधिक ऊंचाई के भवन अनुमन्य नहीं होंगे, परन्तु धार्मिक भवनों के शिखर/गुम्बद पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा ।

Apk
21.12.




E.E.


A.K.

उपाध्यक्ष,
म०वृ०वि०प्रा०, मथुरा ।


M.S.

SECY

तालिका- 'क'

क्र० सं०	सम्पत्ति श्रेणी / भू-उपयोग	सैक्टर / भूखण्ड सं०	भूखण्डों की संख्या	एफ०ए०आर० / भू-आच्छादन	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग०मी०)	आरक्षित दर (रु.) (प्रति वर्ग मी०)	भूखण्ड का आरक्षित मूल्य प्रति सम्पत्ति	10 % धरोहर / पंजीकरण धनराशि (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आश्रम मठ भूखण्ड	S-1/E-04	01	1.20/40%	1179.38	23400.00	27597492.00	2759750.00
2	आश्रम मठ भूखण्ड	S-1/E-05	01	1.20/40%	1183.25	23400.00	27688050.00	2768805.00
3	आश्रम मठ भूखण्ड	S-2/E-23	01	1.20/40%	780.00	23400.00	18252000.00	1825200.00
4	आश्रम मठ भूखण्ड	S-2/E-26	01	1.20/40%	626.00	23400.00	14648400.00	1464840.00
5	सामुदायिक सुविधायें (अन्य संस्थागत)	S-3/CF-01	01	2.00/30%	489.41	27000.00	13214070.00	1321407.00
6	सामुदायिक सुविधायें (अन्य संस्थागत)	S-3/CF-02	01	2.00/30%	993.26	27000.00	26818020.00	2681802.00
7	सामुदायिक सुविधायें (अन्य संस्थागत)	S-3/CF-03	01	2.00/30%	993.19	27000.00	26816130.00	2681613.00
8	सामुदायिक सुविधायें (अन्य संस्थागत)	S-3/CF-04	01	2.00/30%	576.28	27000.00	15559560.00	1555956.00
9	सामुदायिक सुविधायें (अन्य संस्थागत)	S-3/CF-05	01	2.00/30%	577.27	27000.00	15586290.00	1558629.00
10	नर्सिंग होम भूखण्ड	S-1/NH	01	1.20/40%	2844.09	27000.00	76790430.00	7679043.00
11	व्यवसायिक भूखण्ड (उप नगर केन्द्र)	S-3/ व्यवसायिक (commercial)	01	2.50/45%	8000.00	50600.00	404800000.00	40480000.00
12	व्यवसायिक भूखण्ड	SS/S1-03	01	1.75/40%	954.73	50600.00	48309338.00	4830934.00
13	व्यवसायिक भूखण्ड	CS-S3-01 To 05	05	1.50/50%	93.00	50600.00	4705800.00	470580.00
चैतन्य विहार आवासीय योजना, (द्वितीय चरण) वृन्दावन								
14	व्यवसायिक भूखण्ड	S-2/ व्यवसायिक (commercial)	01	1.50/35%	1461.82	50000.00	73091000.00	7309100.00

1. योजना कोड-235 है।
2. रिक्त भूखण्डों का विवरण, ब्रोशर एवं अन्य शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट mvdmathura.com पर उपलब्ध है। प्रवृत्त विधि नियम लागू होंगे। भूखण्डों की संख्या घट-बढ़ सकती है, जो वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
3. भूखण्डों के पंजीकरण हेतु सभी प्रकार के आवेदन ऑनलाईन वेबसाइट janhit.upda.in पर ही प्राप्त किये जायेंगे।

Handwritten signature

Handwritten signature